संख्या :1663 /सत्रह–म–2013,6–9(181)/2013

प्रेषक,

क्षेत्रपाल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0,लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांकः 22 अगस्त,2013

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना योजना की गाइड लाइन्स के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 337/नियो0शा0/आर0के0वी0वाई0/दिनांक 28जून, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना की योजना के कियान्वयन की निम्नलिखित दिशा–निर्देशों (गाइड लाइन) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

1–परियोजना का नामः – मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना

2–योजना का संक्षिप्त विवरणः–

मछली प्रोटीन युक्त लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण और एमिनोएसिड पाये जाते हैं जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यन्त लाभदायक हैं। मछली सुपाच्य मांसाहारी भोज्य पदार्थ है। अतः ताजी मछली तथा उससे तैयार खाद्य व्यंजन दोनों ही रूप में मछली लोकप्रिय है और इसकी मांग निरन्तर बढ़ रही है। वर्तमान जीवनशैली में प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत अभिरूचि के भोज्य पदार्थ तैयार करने हेतु समय का अभाव है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियॉ परिलक्षित हो रही है। इसके दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में जनसामान्य को मछलियों से तैयार व्यंजनों को उचित मूल्य पर सुलभ कराने हेतु पूर्व में मेरठ, वाराणसी लखनऊ व अन्य शहरों में मोबाइल फिश पार्लर स्थापित कराया गया था। जिसकी आशातीत सफलता एवं लोकप्रियता को दृष्टिगत रखते हुए निजी क्षेत्र में चालू वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना प्रस्तावित है। इस योजना के कियान्वयन से जहां सम्बन्धित जनपदों के शहरी क्षेत्रों मे मछली से तैयार व्यंजन जनसामान्य को सुलभ हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर 40 बेरोजगार युवकों को प्रत्यक्ष एवं 200 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेगें।

3– योजना का उद्देश्यः–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसामान्य को ताजी मछली तथा मछली के व्यंजन स्वच्छ वातावरण में सुलभ कराना है। इस योजना के कियान्वयन से जहां जनसामान्य को उचित मूल्य की मछली तथा मछली के व्यंजन सुलभ हो सकेगा वहीं दूसरी ओर इस व्यवसाय से सम्बन्धित लाभार्थी परिवारों तथा मत्स्य पालकों को उसके मत्स्य उत्पाद का

उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा तथा बेरोजगार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार का अवसर सुलभ हो सकेगा।

4–योजना का लक्ष्यः–

प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत प्रस्तावित इस योजना का कियान्वयन प्रदेश के चयनित 23 जनपदों में किया जायेगा। जहां निजी क्षेत्र में कुल 40 मोबाइल फिश पार्लर (सचल मत्स्य विक्रय केन्द्र) की स्थापना कराई जायेगी, जिसका जनपदवार विवरण निम्नवत् हैः–

क्रमांक	जनपद का नाम	मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना का लक्ष्य
1	लखनऊ	05
2	वाराणसी	03
3	इलाहाबाद	03
4	आगरा	03
5	मेरठ	03
6	कानपुर	02
7	बरेली	02
8	गोरखपुर	03
9	गौतमबुद्धनगर	02
10	मुरादाबाद	01
11	गाजियाबाद	01
12	मुजफ्फरनगर	01
13	सहारनपुर	01
14	अलीगढ	01
15	झाँसी	01
16	फैजाबाद	01
17	रामपुर	01
18	सीतापुर	01
19	उन्नाव	01
20	गोण्डा	01
21	लखीमपुरखीरी	01
22	हरदोई	01
23	बहराइच	01
	कुल	40

5—लाभार्थी चयन :—

सम्बन्धित जनपद के 18से 45 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार व्यक्ति लाभार्थी के रूप में पात्र होगें जिसमें शिक्षित बेरोजगारों / नवयुवकों को वरीयता दी जायेगी। उपर्युक्त लाभार्थियों का चयन जनपद स्तर पर गठित निम्नांकित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

मुख्य विकास अधिकारी	**अध्यक्ष**
मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	सदस्य
सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव
अग्रणी बैंक प्रबन्धक	सदस्य

लाभार्थियों से प्रार्थना पत्र सार्वजनिक दैनिक पत्रों में विज्ञापन जारी कर आमंत्रित किये जायेगें।

6—योजना का वित्त पोषण:—

प्रस्तुत योजना निजी क्षेत्र में चयनित पात्र लाभार्थियों के द्वारा 50 प्रतिशत शासकीय अनुदान और 50 प्रतिशत बैंक ऋण अथवा स्वयं के संसाधनों से कियान्वित की जायेगीं। प्रत्येक मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना में अनावर्तक लागत रू0 5.143 लाख एवं लाभार्थी को प्रथम 10 दिन के लिए आवर्ती लागत के रूप में रू0 0.357 लाख कुल यथा रू0 5.50 लाख का व्यय आयेगा जिसमें रू0—2.75 लाख शासकीय अनुदान के रूप में तथा रू0—2.75 लाख बैंक ऋण के रूप में लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा। अथवा लाभार्थियों के स्वयं के संसाधनों के द्वारा वहन किया जायेगा।

7—पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन:—

इस योजना के संचालन से पर्यावरण सन्तुलन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि योजना के अन्तर्गत स्थापित इकाईयॉ सचल मत्स्य विक्री केन्द्र के रूप में संचालित होगी और मछली के अपशिष्ट का निस्तारण लाभार्थी द्वारा उचित स्थान पर किया जायेगा।

8—योजना की प्रबन्ध व्यवस्था:—

योजना के सफल कियान्वयन हेतु लाभार्थियों को तकनीकी जानकारी निम्नानुसार कराई जायेगी:—

1— लाभार्थी को खाद्य व्यंजन तैयार करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था मत्स्य विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में कराया जायेगा।

2— लाभार्थी खाद्य व्यंजन के साथ साथ मत्स्य खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लेकर मछली के पापड़ नोड्यूल्स, मछली के सेव, मछली की चकली व अचार का निर्माण कर पैक आइटम के रूप में विक्रय कर अतिरिक्त लाभ अर्जित कर सकेगा।

3— मोबाइल फिश पार्लर (वाहन) के अनुरक्षण एवं संचालन पर होने वाले व्यय की व्यवस्था लाभार्थी द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा।

4— नगर निगम /नगर पालिका का नियमानुसार टैक्स यदि देय होता है तो लाभार्थी स्वंय भुगतान करेगा।

5— वाहन के परिचालन हेतु चालक की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।

6— मछली की गुणवत्ता एवं उसके व्यंजनों की गुणवत्ता लाभार्थी को मानके के अनुसार स्वयं रखनी होगी जिसे शासन द्वारा निरीक्षण के लिए प्राधिकृत लोक सेवक निरीक्षण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगें एवं मत्स्य विभाग के सक्षम प्राधिकारी भी निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होगें।

9—योजना का वित्त पोषणः—

योजना का वित्त पोषण निम्न विवरण के अनुसार होगाः—

रू0 लाख में

क्र0 सं0	वर्ष	चयनित जनपदों की संख्या	मोबाइल फिश पार्लर इकाईयों की संख्या	धनराशि की आवश्यकता		
				कुल लागत	शासकीय अनुदान (50%)	बैंक ऋण लाभार्थी अंश(50%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2013—14	23	40	220.00	110.00	110.00

10—इकाई लागतः—

प्रत्येक मोबाइल फिश पार्लर में निम्नलिखित अवयव/घटक होंगे जिनका विवरण अनुमानित मूल्य सहित निम्नानुसार है—

क्रमांक	विवरण	**धनराशि (रू0)**
1	न्यूनतम 6 फिट डाला ट्रक	3,10,000/—
2	फेबरीकेशन कार्य—कुकिंग,सेल काउन्टर,ईटिंग टेबल व पानी टंकी व्यवस्था सहित	1,65,800/—
3	जनरेटर हाण्डा	15,000/—
4	डीप फ्रीजर	20,000/—
5	गैस सिलेण्डर (व्यावयायिक)	3,000/—
6	बर्तन एवं अन्य सम्बन्धित सामग्रियॉं	500/—
	योग (पूंजीगत लागत)	5,14,300/—
7	आवर्ती व्यय (10 दिन के लिये)	35,700/—
	महायोगः—	5,50,000/—

11— योजना का आर्थिक विश्लेषणः—

(अ) आवर्तक व्यय— **(धनराशि रू0 में)**

क्रमांक	विवरण	दैनिक व्यय (26 कार्य दिवस)	व्यय प्रति माह	वार्षिक व्यय
1	ताजी मछली प्रतिदिन 33 कि.ग्रा. दर रू0 70/—प्रति कि.ग्रा.	2310	60060/—	720720/—
2	अन्य विविध व्यय चावल 3 कि.ग्रा. बेसन 2 कि.ग्रा. खाद्य तेल 2 कि.ग्रा. मसाले व नमक	 75.00 100.00 110.00 125.00	10660/—	127920/—

3	डिस्पोजेबुल ग्लास व प्लेट	250.00	6500/–	78000/–
4	कुकिंग गैस	100.00	2600/–	31200/–
5	डीजल	200.00	5200/–	62400/–
6	कुशल श्रमिक–2 दर रू0 100/– प्रति दिन	200.00	5200/–	62400/–
7	लाइसेंस फीस	–	–	6000/–
8	अन्य व्यय	100.00	2600/–	31200/–
	योग	3570.00	92820/–	1119840/– या11,20,000/–

(ब) योजना से आय/लाभ–

(धनराशि रू0 में)

क्रमांक	विवरण	दैनिक आय	आय प्रति माह	वार्षिक आय
1	200 प्लेट कुक्ड फिश आयटम (फिश टिक्का,फिश फ्राई,फिश कबाब बिरयानी) दर रू0 30/–प्रति प्लेट	6000.00	1,56,000/–	18,72,000/–
2	10 पैकेट (प्रति पैकेट 500 ग्राम ड्रेस्ड मछली रू0 60/–प्रति पैकेट)	600.00	15600/–	1,87,200/–
	योग:–			20,59,200/– या 20,60,000/–

- कुल वार्षिक आय रू0 20,60,000/–
- कुल वार्षिक व्यय रू0 11,20,000/–
- शुद्ध वार्षिक लाभ आय रू0 9,40,000/–
- लाभार्थी के रिहायसी व्यय हेतु (शुद्ध लाभ का 75 प्रतिशत) रू0 7,05,000/–
- ऋण की अदायगी (शुद्ध लाभ का 25 प्रतिशत) रू0 2,35,000/–

(स) बैंक ऋण भुगतान विवरण–

(धनराशि रू0 लाख में)

वर्ष	बैंक ऋण	ब्याज	कुल धनराशि	ऋण भुगतान	वर्ष की समाप्ति पर अवशेष ऋण
प्रथम	3.85	0.462	4.312	–	4.312
द्वितीय	4.312	0.517	4.825	2.00	2.825
तृतीय	2.825	0.339	3.164	2.00	1.164
चतुर्थ	1.164	0.14	1.304	1.304	–

बैंक ब्याज दर बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति के समय प्रचलित ब्याज दर के अनुरूप होगी।

(द) लाभ–लागत अनुपात– 1.84 : 1.00

12– परियोजना का कियान्वयन एवं अनुश्रवण:–

जनपद स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी होगें जो लाभार्थी चयन उपरान्त चयनित लाभार्थी का ऋण प्रार्थना पत्र बैंक सर्विस एरिया की शाखा में प्रस्तुत करेंगे जिसके लिए बैंक द्वारा जारी सामान्य ऋण आवेदन पत्र प्रयोग किया जा सकेगा अथवा बैंक की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। योजना का मण्डल स्तर पर अनुश्रवण क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य द्वारा किया जायेगा और लाभार्थी को आवश्यकतानुसार परामर्श दिया जावेगा।

13– परियोजना के सम्भावित आउटकम्स –

- मूल्यवर्धित मत्स्य उत्पादों/व्यंजनों की उपलब्धता।
- रोजगार सृजन।
- मत्स्य सेक्टर का विविधीकरण।

भवदीय

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

संख्या :1663(1)/सत्रह–म–6–9(181)/2013तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,कार्यालय (लेखा परीक्षा) प्रथम,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/सहायक निदेशक मत्स्य/अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0।
6. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनु0–2 वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1/नियोजन–3/कृषि अनुभाग–3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव